न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज भागा देवी बनाम कल्ली देवी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।
01.01.2025	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर तलवी जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 07.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)	
07.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते ईन्तजार तामिल अप्रार्थीगण दिनांक 13.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)	
13.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उप0। अप्रार्थीगण को समन प्रेषित किये गये। जिनकी तमिल पत्रावली में हमफीता है। अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को तलबी होना पाया गया। इसके बावजूद उपस्थित नही। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मामला अर्जेण्ट नेचर का है क्योकि आराजी ख0न0 501 रकबा 2.9340 है0 प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात है। अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है। अप्रार्थीगण आराजीयात उनके हिस्से का बेचान बिना तकास्मा करने पर आमादा है। जिससे तकास्मा में विधिक अडचने पेश होगी। अतः रिकॉर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बाबत अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। बहस सुनी गयी। जमाबंदी का अवलेकन किया। आराजी ख0न0 501 रकबा 2.9340 है0 वाके ग्राम रामगढ़ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की है और अप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चूके है। अतः प्रकरण के गुण अवगुण पर विवेचना करना इस स्तर पर उचित नही समझते। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी व अप्रार्थीगण आराजी आराजी ख0न0 501 रकबा 2.9340 है0 ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा को पाबंद किया जाना विधि संगत है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक इस आशय से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात मुतनाजा के रिकॉर्ड एव मौका की की यथावत स्थिति कायम रखे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)	
30/1/25	पत्रावली प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी पेश होने पर तलब की गई। वकील वकील प्रार्थीनी गण श्री अरुण कुमार जैन ने अपना प्रार्थना पत्र विड्रो करवाने बाबत प्रा० पत्र पेश किया। जिसमे प्रार्थीनी गण अपना प्रकरण राजीनामे के	

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर लोक अदालत की भावना से विड्रो करवाना चाहता है अतः प्रा० पत्र विड्रो बाबत स्वीकार किया जाता है ~~वाद वापिस~~

प्रा० पत्र प्रार्थीगण लोक अदालत की भावना से विड्रो कर खारिज किया जाता है आदेश दिनांक 30.1.25 प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रो किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद-पत्र के साथ सम्मिलित हो।

Note press
Advocate
30/1/25

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner